समक्ष:- माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर ॥ म0प्र0 ॥

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

रामाधार तनय बल्देव राम ब्रा॰ निवासी ग्राम बागढ़ खास तह॰ रामपुर जिला सीधी म॰प्र॰ -------- अपीलान्ट

बनाम

इन्द्रजीत तनय लोकनाथ तिवारी सा॰ बागढ़ खास तह॰ रामपुर नैकिन जि॰ सीधी म॰प्र॰ --------- रेस्प0

अ - 1939 - अ/2001

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म॰प्र॰ प्र॰क्र॰ 601/ अपील/ 2000-2001 आदेश दि॰ 5॰7॰2001

अपीलान्ट की ओर से प्रकाश नारायण शर्मा अधि॰ द्वारा प्रस्तुत

P. N. Shrivastava
12/10/01

12/10/01

---

अपील अन्तर्गत धारा 44 ॥2॥ म॰प्र॰भू॰रा॰ 1959ई॰

---

मान्यवर,

आधार अपील निम्न है:-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के प्रक॰ को मगवाए बिना ही धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र निरस्त क॰ में महान विधिक भूल की है। क्योंकि यदि प्रथम अपीलीय न्यायालय के प्र॰

A 1939-I/01 शोधी
रामाधार / रन्जीत

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 14-6-16<br>11 बजे | आवेदक एवं आवेदक अभि. उपस्थित नहीं/ अना० की ओर से कोई उपस्थित नहीं/ आवाज 3 बार लगवाई गई/ प्रकरण 12 बजे रखा जावे/<br><br>सदस्य | |
| 12 बजे | आवेदक एवं आवेदक अभि. कोई उप. नहीं/ अना० की ओर से कोई उप. नहीं/ आवाज लगवाई गई/ प्रकरण 1 बजे रखा जावे/<br><br>सदस्य | |
| 14-6-16<br>1 बजे. | आवेदक एवं आवेदक अभिभाषक उपस्थित नहीं/ अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं/ पुनः आवाज लगवाई गई/ कोई उपस्थित नहीं/ प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण चलाने में रूचि नहीं है/ ऐसी स्थिति में प्रकरण समाप्त किया जाता है/<br><br>सदस्य | |

शा.क्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्रा—29-2-2012—15,000.